Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding inclusion of 'Lohar' caste of Bihar in Scheduled Castes list.

श्री सुशील कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदया, बिहार में एक जाति है जिसको हम 'लोहार' के नाम से पुकारते हैं। यह जाति सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़ी हुई है।

मैं आपके माध्यम से इस जाति की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। 'लोहार' जाति की आरक्षण अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद में उलझ कर रह गई है। अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्रमांक 22 पर दर्ज Lohara, Lohra का हिन्दी 'लोहारा' तथा 'लोहरा' अंकित किया गया है। वर्ष 2006 में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में इसके स्थान पर 'लोहारा' तथा 'लोहरा' प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस संशोधन (Act 48 of 2006) की वजह से मामला और उलझ गया। राज्य सरकार ने इस खामी को दूर करने के इरादे से विभिन्न संगठनों से परामर्श किया तथा सामाजिक संस्थानों से (Ethnographic) रिपोर्ट भी तैयार कराई और केन्द्र सरकार को भेजा। इस रिपोर्ट पर कोई निर्णय हो, इसके पहले ही सरकार ने 9 मई, 2016 को यानि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना में 292 पुराने कानूनों, संशोधन विधेयकों में से 290 को निरस्त कर दिया। इसी में वर्ष 2006 का वह संशोधन विधेयक भी था, जिसमें बिहार की 'लोहार' जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा अमान्य और 'लोहार' 'लोहरा' जाति को ही अनुसूचित जनजाति माना गया था। वर्ष 2006 का संशोधन, अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम -1976 में किया गया था, जिसमें अंग्रेजी के Lohara का हिन्दी ट्रांसलेशन 'लोहार' दर्ज़ है। जैसे बिहार में बोलचाल की भाषा में 'लोहार' जाति के लिए 'लोहरा' शब्द का भी प्रयोग

किया जाता है, उसी तरह अंग्रेजी के शब्द Surendra को हिन्दी में सुरेन्द्र कहते हैं, न की सुरेन्द्रा?

पूर्व की सरकारों ने जातिगत राजनीति के चलते ऐसा किया। इस समाज को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार में बहुत आस्था है और लोगों का भरोसा भी है।...(व्यवधान) महोदया, मैं अपनी माँग रख रहा हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, अपनी माँग रखो। लेकिन आप इतना लंबा भाषण पढ़ रहे हो।

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदया, सदन के माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन होगा कि वर्ष 2016 में निरस्त किए गए वर्ष 2006 के कानून के आलोक में एक स्पष्ट अधिसूचना जारी हो। बिहार के 'लोहार' जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाए, यही मेरी माँग है।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राजेश रंजन तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।